

शपथ पत्र

बनाम

शफ मोहन

सन

212 RTA

23/12/18

हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील में जारी हुए

3-4-18

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।


वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 14.06.2018 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 1601 रकबा 0.36, 1602 रकबा 0.41, 1603 रकबा 0.01, 1604 रकबा 0.78, 1605 रकबा 0.01, 1607 रकबा 0.16, 1839 रकबा 0.33, 1840 रकबा 0.33, 3560 रकबा 0.65, 3561 रकबा 0.67, 1611 रकबा 0.1 8हैक्ट0 कुल किता 11 रकबा 3.89 हैक्ट0 वाके ग्राम नौगावा तहसील रामगढ जिला अलवर में प्रार्थी के हिस्से के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उपत्पन्न नही करें। राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 14.06.2018 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी  
रामगढ (अलवर)

13-6-18

आप पक्षीय " - फाज आपडे  
हाए 2018" के रजि करे के अंतर्गत  
मे पेश हुई काली कसबियाली  
अनु0 पक्षीय का अलवर जिले  
किता रामगढ तहसील रामगढ जिला  
अलवर में प्रार्थी के हिस्से के उपयोग व उपभोग में

श्री लक्ष्मी वाराह विद्या प्रामाण्य  
पत्रावली लक्ष्मी वाराह होकर  
डा. लक्ष्मी वाराह ही

  
डा. लक्ष्मी

उप खण्ड अधिकारी  
रामगढ़ (अलवर)